न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— महिपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 225/2021 प्रार्थनापत्र
आशु पुत्र श्री गोमा तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——— प्रार्थी

बनाम

1. गंगा पुत्री श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
2. घीसू पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
3. तेजी पुत्री श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
4. देवा पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
5. नंगजी पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
6. नेनूराम पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
7. नोसर पुत्री श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
8. प्रेमचन्द पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
9. भागु पुत्र श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा
10. मीठू पुत्री श्री लालू तेली आयु वयस्क निवासी— मियाफलास का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

———— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—
1. श्री मुकेश कुमार जैन ———अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश सिंह तंवर ——अधिवक्ता विपक्षीगण
3. पेरोकार सरकार ——उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक— 11.2.2023

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा— 251—ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद मियाफलास का खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी नम्बर 3299 रकबा 0.6450 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता एकमात्र रास्ता जो कि मियाफलास का खेड़ा से गोरख्या रोड़ से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 3298 से होकर मे से होकर जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी की आराजी के पास विपक्षीगण की भूमि होने से प्रार्थी की आराजी मे विपक्षीगण को रास्ता व विपक्षीगण की आराजी मे प्रार्थी को रास्ता दिया जाने पर कोई आपत्ति नही बताया

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

व अन्य खातेदारान द्वारा भी सहमति दी गयी , जिस हेतु प्रार्थी भी सहमत है व साथ ही विपक्षीगण की आराजी नम्बर 3174 मे आने जाने हेतु मुख्य रास्ते के आगे आराजी नम्बर 2341, 2346 के खातेदार घीसा पुत्र श्री खुमा तेली द्वारा 15 फीट रास्ता देने हेतु सहमति प्रदान कर 50/- रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र भी निष्पादित किया गया। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद मियाफलास का खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 3299 रकबा 0.6450 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 3298 विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थी के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 3299 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 3298 मे से 02 गटा चौडाई की भूमि मे रास्ता व विपक्षीगण की अन्य आराजी 3174 मे आने जाने हेतु खातेदार घीसा पुत्र श्री खुमा तेली की आराजी नम्बर 2341, 2346 एवं प्रार्थी की आराजी नम्बर 3173 मे से 15 फीट चौडाई के रूप मे रास्ता दर्ज किये जाने पर दोनो पक्षो को कोई आपत्ति नही है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की आराजी नम्बर 3299 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 3298 मे से 02 गटा चौडाई की भूमि मे रास्ता व विपक्षीगण की आराजी नम्बर 3174 मे आने जाने हेतु खातेदार घीसा पुत्र श्री खुमा तेली की आराजी नम्बर 2341, 2346 एवं प्रार्थी की आराजी नम्बर 3173 मे से 15 फीट चौडाई मे रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 3299 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी नम्बर 3298 मे से 02 गट्टा चौडाई की भूमि मे रास्ता व विपक्षीगण की आराजी नम्बर 3174 मे आने जाने हेतु खातेदार घीसा पुत्र श्री खुमा तेली की आराजी नम्बर 2341, 2346 एवं प्रार्थी की आराजी नम्बर 3173 मे से 15 फीट चौडाई के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी करे। रास्ते के बदले रास्ता होने से इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि कोई क्षतिपूर्ति राशि एक दूसरे को अदा नही की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)